संख्या- 187 /2023 / 1197 /चार-2023-1 (बजट)/ 2017

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2023

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं बिरजू महाराज कथक संस्थान, लखनऊ के कार्मिकों के वेतन भत्तों के लिए बजट प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 129 /सं0नि0-20(आवंटन)/2023-24 दिनांक 19 अप्रैल, 2023 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के कार्मिकों के वेतन भत्तों के लिए बजट प्राविधानित धनराशि रू0 370.00 लाख (रूपये तीन करोड़ सत्तर लाख मात्र) तथा बिरजू महाराज कथक संस्थान, लखनऊ के कार्मिकों के वेतन भत्तों के लिए बजट प्राविधानित धनराशि रू0 50.84 लाख (रूपये पचास लाख चौरासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त सम्पूर्ण धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- प्रश्नगत धनराशि का आहरण वित्तीय हस्तपुस्तिका के संगत नियमों के अनुसार राजकोष से किया जाएगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

3- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का आंवटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ कही आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

4- अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित /वितरित धनराशि के सक्षम किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन तथा इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 187 /2023/ 1197 (1) /चार-2023-1 (बजट)/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज
4- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, समस्त संबंधित अकादमी/संस्थान (संस्कृति विभाग) ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 187 / 2023 / 1197 / चार-2023 -1(बजट)/2017 दिनांक 19 अप्रैल, 2023 का संलग्नक

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये जारी स्वीकृतियों का विवरण

ब्यौरेवार शीर्षक	वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्गत धनराशि (लाख रूपये में)
1	2	3
अनुदान संख्या- 92 लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति,101-ललित कला शिक्षा		
18- भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय		
31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	370.00	370.00
19- बिरजू महाराज कथक संस्थान		
31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	50.84	50.84
योग	420.84	420.84

(कुल निर्गत धनराशि रूपये चार करोड़ बीस लाख चौरासी हजार मात्र)

(रघुनाथ प्रसाद वर्मा)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।